

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में राजस्थान अर्बन ड्रीकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (रूडसीको) का अधिशासी अभियंता कम रेजीडेन्ट मैनेजर 5 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 29 जून, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये लूणकरण कुम्हार अधिशासी अभियंता कम रेजीडेन्ट मैनेजर, राजस्थान अर्बन ड्रीकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (रूडसीको), जयपुर पुत्र श्री सूरजमल कुम्हार निवासी 195/106, सैक्टर-19, प्रतापनगर, जयपुर को परिवादी से 5 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म के द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के बकाया करीब 1 करोड़ के बिलों के भुगतान की एवज में लूणकरण कुम्हार अधिशासी अभियंता कम रेजीडेन्ट मैनेजर, राजस्थान अर्बन ड्रीकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (रूडसीको) द्वारा कमीशन के रूप में 5 लाख रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश स्वामी एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये लूणकरण कुम्हार पुत्र श्री सूरजमल कुम्हार निवासी 195/106, सैक्टर-19, प्रतापनगर, जयपुर हाल अधिशासी अभियंता कम रेजीडेन्ट मैनेजर, राजस्थान अर्बन ड्रीकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (रूडसीको), जयपुर को 5 लाख रूपये (1 लाख 50 हजार भारतीय मुद्रा एवं 3 लाख 50 हजार रूपये की डमी केरेंसी) की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।